न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 06/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेश गोयल, तहसीलदार विराटनगर

बनाम

1. मैसर्स श्याम एण्ड कम्पनी, रिटेल आउटलेट, एस्सार ऑयल लि., अलवर, जयपुर रोड, ग्राम पापडी तह. विराटनगर, जयपुर।
2. श्री संजय अग्रवाल, संचालक मैसर्स श्याम एण्ड कम्पनी रिटेल आउटलेट, एस्सार ऑयल लि. ग्राम पापडी तह. विराटनगर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री के.डी. शर्मा अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी श्री सुरेश गोयल, तहसीलदार, विराटनगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 29.09.2011 को मैसर्स श्याम एण्ड कम्पनी रिटेल आउटलेट, एस्सार ऑयल लि. की जांच करने पर स्टॉक से अधिक पाये गये 2286.81 लीटर डीजल को जब्त किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 29.11.2011 को अधिवक्ता श्री के.डी. शर्मा ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण/अभिभाषक द्वारा दिनांक 13.03.2012 को जवाब पेश किया गया। साथ ही दिनांक 04.02.2020 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई. केसेज) जयपुर द्वारा दिनांक 17.01.2020 को बरी कर दिया गया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(क)(3)(सी) के अन्तर्गत जब्त वस्तु की विक्रीतशुदा राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ अप्रार्थी को लौटावें। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार अप्रार्थीयान को आवाज लगवाई गयी। न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थी द्वारा जवाब में जिन दस्तावेज/पत्रों का विवरण अंकित किया है, उनकी फोटो प्रति संलग्न उपलब्ध नहीं करवाई गई एवं प्रकरण में प्रा.पत्र दिनांक 04.02.2020 में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर, जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 17.01.2020 की प्रति पेश करना अंकित किया है परन्तु निर्णय की कोई प्रति संलग्न पेश नहीं की गई है। दिनांक 29.09.2011 को जब्त सामान का अप्रार्थीगण द्वारा कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध खरीद फरोख्त व भण्डारण किया जा रहा था। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 29.10.2010 को 4000 लीटर डीजल की आमद के बाद कुल 5712 लीटर डीजल का स्टॉक था एवं उसके बाद निरीक्षण दिनांक तक डीजल की आमद नहीं हुयी। इस अवधि के दौरान बिल बुक के अनुसार कुल 7566.401 डीजल बिक्री होना पाया गया एवं इसके पश्चात भी लगातार बिक्री करना पाया गया। मौके पर 2298.81 लीटर डीजल दो टैंकों में पाया गया। इस प्रकार 4153.211 लीटर डीजल अधिक वितरण/स्टॉक में पाया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पम्प पर टोटलाईजर की सील टूटी होना पाया गया है जिससे उपभोक्ताओं को डीजल आदि कम मात्रा में दिये जाने पर अधिशेष एकत्रित होने तथा डीजल की अवैध खरीद फरोख्त की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में अवैध खरीद फरोख्त व बेचान की स्थिति स्पष्ट होती है। प्रकरण में जब्त सामग्री के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी वैध बिल–परमिट के डीजल की कालाबाजारी के उद्देश्य से अवैध खरीद फरोख्त व भण्डारण किया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में जब्त 2286.81 लीटर डीजल को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।